पत्रांकः–07 / प्रो० 03–11 / 2025 4008

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

साहिला, भा0प्र0से0
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
बिहार।

पटना, दिनांक 11–11–2025

विषयः– **बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली–2018 से आच्छादित शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) एवं प्रोन्नति से संबंधित प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली–2018 से आच्छादित शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित एस0ओ0पी0 तैयार कर आपको उपलब्ध कराई जा रही है।

अतएव निदेश है कि अगले कैलेण्डर वर्ष से प्रोन्नति संबंधी मामलों का निस्तारण एस0ओ0पी0 में निर्धारित समय–सीमा के अनुरूप किया जाय एवं इस कैलेण्डर वर्ष के लिए इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में प्रोन्नति संबंधी प्रमाण–पत्र 03 दिनों के भीतर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक :–
1. प्रोन्नति से संबंधित एस0ओ0पी0।
2. प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

11/11/25
(साहिला)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

कार्यालय : जिला शिक्षा पदाधिकारी, ...

(शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित प्रमाण—पत्र)

पत्रांक : .... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि कैलेण्डर वर्ष 2025 में अधोहस्ताक्षरी के नियंत्रणाधीन जिला .... में कार्यरत जिला संवर्ग के प्रारंभिक शिक्षकों से संबंधित प्रोन्नति के सभी मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, और वर्तमान तिथि तक कोई भी प्रोन्नति से संबंधित मामला इस कार्यालय स्तर पर लंबित नहीं है।

यदि भविष्य में किसी प्रकार का लंबित मामला पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की होगी।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना
(हस्ताक्षर एवं मुहर)

जिला शिक्षा पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मुहर)

बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली–2018 के आलोक में शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु मानक कार्यप्रणाली

(Standard Operating Procedure)

1. जिला संवर्ग के कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी, एकरूप एवं समयबद्ध बनाना, ताकि यह प्रक्रिया बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली–2018 के अनुरूप रहे।

2. यह SOP निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षकों पर लागू होगी–
   - ❖ प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1–5)
   - ❖ मध्य विद्यालय शिक्षक (कक्षा 6–8)

3. **प्रोन्नति निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन दी जाएगी–**
   - ❖ बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली–2018
   - ❖ बिहार सेवा संहिता एवं मूल नियम (Fundamental Rules)
   - ❖ समय–समय पर निर्गत विभागीय/वित्त विभागीय संकल्प, परिपत्र एवं दिशा–निर्देश

4. **प्रोन्नति हेतु प्राधिकार –**

भूमिका	उत्तरदायित्व	नियम
जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति	सेवा सम्पुष्टि और प्रोन्नति से संबंधित सभी निर्णयों के लिए अंतिम प्राधिकार।	नियम 4(2)
जिला शिक्षा पदाधिकारी	स्थापना समिति के अध्यक्ष और प्रोन्नति आदेशों पर संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता।	नियम 4(1), 13
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)	स्थापना समिति के सदस्य–सचिव और प्रोन्नति आदेशों पर संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता।	नियम 4(1), 13

5. **प्रोन्नति के लिए सामान्य शर्तें (नियम 7)–** प्रोन्नति पर विचार केवल निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर ही किया जाएगा :–
   - ❖ **न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि :–** न्यूनतम सेवा अवधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।
   - ❖ **वांछित अर्हता :–** उम्मीदवार के पास प्रोन्नति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक (ट्रेनिंग) अर्हता होनी चाहिए।
   - ❖ **संतोषजनक सेवा :–** उम्मीदवार का सेवा इतिहास संतोषजनक प्रमाणित होना चाहिए।

6. **प्रोन्नति की चरण–दर–चरण प्रक्रिया–**

   चरण 1 :– वरीयता सूची (Seniority List) की तैयारी (नियम 11 और 12)

गतिविधि	विवरण
तैयारी की तिथि	अनंतिम वरीयता सूची (Provisional Seniority List) प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।
मैट्रिक/इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक से स्नातक शिक्षक में प्रोन्नति	अपेक्षित स्नातक योग्यता रखने वाले विज्ञान शिक्षकों और कला शिक्षकों के लिए अलग- अलग वरीयता सूची तैयार की जाय।
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक से प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति	स्नातक वेतनमान में कार्यरत, स्नातकोत्तर (Post-Graduate) योग्यता रखने वाले शिक्षकों के लिए वरीयता सूची तैयार की जाय।
आपस में वरीयता निर्धारण	**प्राथमिक आधारः** विशिष्ट कोटि (Cadre) प्राप्त करने की तिथि। **द्वितीयक आधारः** यदि कोटि प्राप्त करने की तिथि समान हो, तो जन्म तिथि आधार होगी। **तृतीयक आधारः** यदि जन्म तिथि भी समान हो, तो नाम के रोमन लिपि के वर्णाक्षर क्रम (Alphabetical Order) से वरीयता निर्धारित की जाएगी।

चरण 2 :– रिक्ति की पहचान और आरक्षण

- ❖ जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रोन्नति पदों (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के लिए उपलब्ध रिक्तियों की पहचान करेंगे।
- ❖ इन रिक्तियों पर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया किया जाय (नियम 8)।

चरण 3 :– पात्रता मापदंड

वर्तमान पद	प्रोन्नति का पद	पात्रता मापदंड
मैट्रिक/इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि और स्नातक योग्यता होनी चाहिए। उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा। (नियम 9)
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक	स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि और स्नातकोत्तर योग्यता होनी चाहिए। उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा। (नियम 10)

चरण 4 :– प्रोन्नति आदेश जारी करना (नियम 13)

- ❖ जिला स्थापना समिति के निर्णय के बाद, उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन के साथ प्रोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे।
- ❖ प्रोन्नति आदेश सदस्य–सचिव (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना) और जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए।

- ❖ वित्तीय लाभ: प्रोन्नति का वित्तीय लाभ नए प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से दिया जाएगा।

7. विशेष प्रावधान–

- ❖ **अप्रशिक्षित शिक्षक (नियम 15)** : अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी कोटि में प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे।
- ❖ **शिथिलीकरण** : यदि प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक संख्या में योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हों, तो विभाग नियमों के अनुसार योग्यता और सेवा अवधि की आवश्यकताओं में शिथिलीकरण की कार्रवाई शुरू कर सकता है (नियम 10)।
- ❖ **वैकल्पिक व्यवस्था (नियम 14):** उच्च पदों के रिक्त होने के कारण शैक्षणिक/प्रशासनिक कार्य बाधित न हो, इसके लिए वरिष्ठ शिक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान में ही उच्च पद का कार्य सौंपा जा सकता है। यह व्यवस्था अतिरिक्त वेतन या प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं करेगी।

8. वार्षिक समयरेखा :– यह समयरेखा नियम 11 में निर्धारित 31 दिसम्बर की कट–ऑफ तिथि पर आधारित है।

चरण	गतिविधि	अवधि
1	औपबंधिक वरीयता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन। (सूची को जिला वेबसाइट एवं सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा)	15 जनवरी तक
2	वरीयता सूची पर आपत्तियाँ/दावे प्राप्त करना	31 जनवरी तक
3	अंतिम सूची का प्रकाशन। (सूची को जिला वेबसाइट एवं सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा)	15 फरवरी तक
4	प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की पहचान और आरक्षण रोस्टर का निर्धारण।	फरवरी माह के अंत तक
5	जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की बैठक और प्रोन्नति पर अंतिम निर्णय।	15 मार्च तक।
6	प्रोन्नति एवं पदस्थापन आदेश जारी करना (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से)।	निर्णय के तुरंत बाद (17 मार्च तक)
7	प्रोन्नत शिक्षक का नए पद पर योगदान।	आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर।
8	अपील दायर करने की अवधि (यदि शिक्षक व्यथित हों तो) (नियम 18)।	आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर।